



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-35/2016-1465

दिनांक : 26.11.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभागीय भवनों एवं चाहरदिवारी आदि का नव-निर्माण कार्य हेतु कुल **रु0 57.00 लाख (सनतावन लाख रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-23/2016-44/स्वी0 व0प0 दिनांक 25.10.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-23/2016-78/आ0 व0प0 दिनांक 25.10.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 15 "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 57.00 लाख (सनतावन लाख रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601101150103	22.230
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101150323	34.770
कुल :-		57.000

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनु0-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने प्रमण्डल के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे ।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19P240601101150103 एवं 19P240601101150323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा ।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को अवगत कराएंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा

[Handwritten Signature]

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

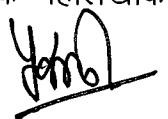
10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

12. पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों को कन्डेम कराकर उसी स्थान पर नया भवन निर्मित किया जाय एवं जो सामग्री विक्री हेतु उपयुक्त हो उसे निलामी कर विक्री की जाय तथा राशि कोषागार में जमा की जाए।

13. भवन निर्माण के पूर्व स्थल की फोटोग्राफी (विडियोग्राफी) की जाय एवं निर्माण के उपरान्त पुनः फोटोग्राफी (विडियोग्राफी) की जाय तथा एक प्रति इस कार्यालय में जमा की जाय।

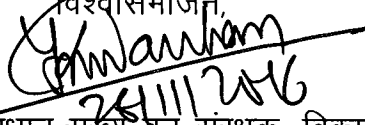
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार



कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजना अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित किये जा रहे उप आवंटन मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 988 दिनांक 19.09.2016 द्वारा प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप की जा रही है, जिसमें चाहरदिवारी निर्माण से संबंधित प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन 100 फीट x 6.5 फीट के लिए 2.266 लाख रुपये पर प्रदान की गई है एवं स्टील गेट के लिए 29889 रुपये कर्णांकित है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चाहरदिवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त स्थल की मापी कर वास्तविक निर्माण किये जाने वाले चाहरदिवारी का आवंटित राशि के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय, जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को समर्पित की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजत,

28/11/2016
अपर प्रधान, मुख्य भवन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजना अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित किये जा रहे उप आवंटन मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 988 दिनांक 19.09.2016 द्वारा प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप की जा रही है, जिसमें चाहरदिवारी निर्माण से संबंधित प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन 100 फीट x 6.5 फीट के लिए 2.266 लाख रुपये पर प्रदान की गई है एवं स्टील गेट के लिए 29889 रुपये कर्णांकित है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चाहरदिवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त स्थल की मापी कर वास्तविक निर्माण किये जाने वाले चाहरदिवारी का आवंटित राशि के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय, जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को समर्पित की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-35 / 2016-1465

दिनांक- 26.11.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्तवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजना अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित किये जा रहे उप आवंटन मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 988 दिनांक 19.09.2016 द्वारा प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप की जा रही है, जिसमें चाहरदिवारी निर्माण से संबंधित प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन 100 फीट x 6.5 फीट के लिए 2.266 लाख रुपये पर प्रदान की गई है एवं स्टील गेट के लिए 29889 रुपये कर्णांकित है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चाहरदिवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त स्थल की मापी कर वास्तविक निर्माण किये जाने वाले चाहरदिवारी का आवंटित राशि के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय, जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को समर्पित की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-35/2016-1465

दिनांक- 26.11.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-35/2016-1465

दिनांक- 26.11.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी देवघर/ सिमडेगा/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

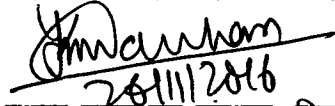
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पदाधिकारियों / कर्मचारियों के कार्यालय, आवास, वन विश्रामागार, चाहरदिवारी आदि का नव निर्माण एवं पेयजल सुविधा से संबंधित प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भवनों का नाम		प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii		iv	v	vi	vii
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	iii	विभागीय कर्मचारियों को ठहरने हेतु दो कमरों का भवन निर्माण	15.000	5.850	9.150	15.000
योग :-				15.000	5.850	9.150	15.000
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	ii	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में मोटरसाईकिल शेड का निर्माण	4.000	1.560	2.440	4.000
योग :-				4.000	1.560	2.440	4.000
3	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	i	8 सर्वेन्ट क्वार्टर का निर्माण	38.000	14.820	23.180	38.000
योग :-				38.000	14.820	23.180	38.000
सकल योग :-				57.000	22.230	34.770	57.000


 28/11/2016
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-35/2016/1465

दिनांक - 26-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	74897	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	585,000.00 रुपये पाँच लाख पचयासी हजार
2	P 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	74898	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	156,000.00 रुपये एक लाख छप्पन हजार
3	P 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	74899	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO.WILD LIFE DIVISION RANCHI	1,482,000.00 रुपये चौदह लाख बयासी हजार

योग:

क्रमिक योग:

रुपये बाइस लाख तेइस हजार

2,223,000.00


26/11/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)



ADDT.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	74900	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	915,000.00 रुपये नौ लाख पंद्रह हजार
5	P 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	74901	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	244,000.00 रुपये दो लाख चवालीस हजार
6	P 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	74902	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO.WILD LIFE DIVISION RANCHI	2,318,000.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार

योग:		3,477,000.00
क्रमिक योग:	रुपये सत्तावन लाख	5,700,000.00
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND		